

**भारत सरकार**  
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय**  
**दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग**

**विषय: दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए संशोधित दिशानिर्देश।**

दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण एक अंतर – अनुशासनात्मक प्रक्रिया है ,जिसमें रोकथाम ,शीघ्र पहचान , हस्तक्षेप ,शिक्षा ,व्यावसायिक प्रशिक्षण ,पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण आदि जैसे विभिन्न पहलु सम्मिलित हैं | दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ,2016 के खंड 24में दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं के निर्माण का प्रावधान है |इसके अतिरिक्त ,उक्त अधिनियम का खंड 39 अन्य बातों के साथ- साथ दिव्यांगजनों के कौशल ,योग्यता और क्षमता तथा कार्यबल , श्रम बाजार और व्यावसायिक शुल्क में उनके योगदान की अग्रिम मान्यता के लिए जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को अधिदेशित करता है |

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ,2016 के उपर्युक्त प्रावधानों की भावना को ध्यान में रखते हुए , सरकार का दिव्यांगजनों के व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्यथा दिये गये योगदान /कौशल को मान्यता देते हुये , एवं दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में व्यक्तिगत ,सरकारी और निजी निकायों द्वारा दिये गए योगदान को भी मान्यता देते हुये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का प्रयोजन है |

इसलिए ,ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के सरकार के प्रयोजन को प्रभावी बनाने के लिए ,केंद्र सरकार एतद्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित करती है - :

**1. पुरस्कारों का विवरण और श्रेणियां**

I. व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार:-

क्र. सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कारों के घटक
1.	<b>सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन</b>  (किसी भी क्षेत्र या गतिविधि से संबंधित अर्थात शिक्षा / स्वास्थ्य / रोजगार / कला और संस्कृति / खेल / रचनात्मक कार्य / दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण / सामाजिक सेवा / इत्यादि - एक रोल मॉडल)  आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं में से किसी भी दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए खुला है।	6 (पुरुष के लिए 3 और महिला के लिए 3)	पुरस्कार का नकद घटक: प्रत्येक के लिए 2.00 लाख रुपये, पदक, प्रमाण पत्र)
2	<b>श्रेष्ठ दिव्यांगजन</b>	10 (प्रत्येक श्रेणी में)	पुरस्कार का नकद घटक: प्रत्येक के

<p>7. गतिविषयक-गतिमान, पेशीय अक्षमता, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, ठीक हुआ कुष्ठ, प्रमस्तिष्क पक्षाघात</p> <p>7. दृष्टि बाधित - अंधापन, कम दृष्टि</p> <p>8. श्रवणबाधित-बधिर, सुनने में कठिन, भाषण और भाषा दिव्यांगता</p> <p>9. बौद्धिक दिव्यांगता- मानसिक मंदता, मानसिक व्यवहार, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार</p> <p>इ) ऊपर दिए गए क्रम (क) से (घ) तक उल्लिखित दिव्यांगताओं को छोड़कर कोई भी विनिर्दिष्ट दिव्यांगता (विकासात्मक विकार, रक्त विकार के कारण होने वाली दिव्यांगता , हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग, पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, मल्टीपल स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, बहु दिव्यांगता)</p> <p>(रोजगार / स्वरोजगार, स्वास्थ्य/खेल, कला और संस्कृति, ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत या रचनात्मक कार्य के कोई भी अन्य प्रकार, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण)</p>	<p>पुरुष के लिए 1 और महिला के लिए 1)</p>	<p>लिए 01 .00 लाख रुपये, पदक, प्रमाण पत्र)</p>
<p>3. श्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बाल / बालिका (18 वर्ष की आयु तक के दिव्यांग बच्चे)</p> <p>(आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दिव्यांगजनों की सभी श्रेणियां ) –</p> <p>(कला और संस्कृति, ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत या किसी अन्य प्रकार के रचनात्मक कार्य इत्यादि के क्षेत्र में)</p>	<p>2(बालकऔर बालिको प्रत्येक के लिए 1)</p>	<p>पुरस्कार का नकद घटक: प्रत्येक के लिए 01 .00 लाख रुपये, पदक, प्रमाण पत्र)</p>
<p>4. दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत- सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति</p>	<p>एक पुरस्कार</p>	<p>- एक प्रमाण पत्र, एक पदक और 1.00 लाख रु का</p>

			नकद पुरस्कार
5	दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर/कार्मिक)	एक पुरस्कार	- एक प्रमाण पत्र, एक पदक और: 1.00 लाख रु का नकद पुरस्कार
6	दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास	एक पुरस्कार	- एक प्रमाण पत्र, एक पदक और: 1.00 लाख रु का नकद पुरस्कार
इस श्रेणी में विजेता को कुल पुरस्कार नकद राशि 27 लाख रुपये, 21 पदकों सहित प्रमाण पत्र			

## II. दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में कार्यरत संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

क्र.सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या	कोई नकद घटक नहीं, (केवल शील्ड और प्रमाण पत्र )
1.	दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संस्थान (निजी संगठन, एनजीओ)	2 पुरस्कार	व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए 1 पुरस्कार तथा समावेशी शिक्षा के लिए 1 पुरस्कार
2.	दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता (सरकारी संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम /स्वायत निकाय /निजी क्षेत्र	1 पुरस्कार	शील्ड और प्रमाण पत्र
3.	दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी  (सरकारी / राज्य सरकार/ स्थानीय निकाय को छोड़कर)	1 पुरस्कार	शील्ड और प्रमाण पत्र
4.	सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन / बाधा मुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र /जिला	1 पुरस्कार	शील्ड और प्रमाण पत्र
5.	सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन / सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (निजी / सरकारी संगठन)	1 पुरस्कार	शील्ड और प्रमाण पत्र
6.	आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम/ यूडीआईडी एवं दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य /संघ राज्य क्षेत्र /जिला	1 पुरस्कार	शील्ड और प्रमाण पत्र

7.	आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत राज्य में कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगजन आयुक्त	2 पुरस्कार राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के लिए 1 पुरस्कार और जिला के लिए 1 पुरस्कार	शील्ड और प्रमाण पत्र
8.	पुनर्वास पेशेवरों के विकास में संलग्न सर्वश्रेष्ठ संगठन	1 पुरस्कार	शील्ड और प्रमाण पत्र
9.	“कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / निजी क्षेत्र की कंपनी ”	1 पुरस्कार	शील्ड और प्रमाण पत्र
इस श्रेणी में विजेता को कुल पुरस्कार 11 शील्ड सहित प्रमाण पत्र			
9.	अतिरिक्त पुरस्कार - श्रेणी (I) अथवा श्रेणी (II) अथवा दोनों में, जैसा कि राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा उपयुक्त माना जाए।	3 पुरस्कार (केवल उपरोक्त श्रेणी (I) अर्थात् व्यक्तिगत उत्कृष्टता के मामले में प्रत्येक के लिए नकद घटक 2.00 लाख रु. - उप श्रेणी (1) के लिए और उप श्रेणी (2, 3, 4, 5, और 6 के लिए 1.00 लाख रु.) परन्तु श्रेणी (II) के लिए केवल शील्ड और प्रमाण पत्र )	
	टेबल (I) और (II) का कुल योग	35 पुरस्कार विजेता, अधिकतम 33 लाख रुपये तक नकद घटक, और व्यक्तियों को 21 पदक और संस्थानों को 11 शील्ड ( अतिरिक्त पुरस्कारों को छोड़कर )	

2. पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करने और पुरस्कार विजेताओं के चयन की प्रक्रिया:-
3. (i) पात्र उम्मीदवार या प्रतिष्ठानों या संस्थानों द्वारा उपरोक्त पैरा 1 में निर्धारित श्रेणियों में आवेदन गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कारों के सामान्य पोर्टल ([www.awards.gov.in](http://www.awards.gov.in)) ( जब यह आवेदन प्राप्त करने हेतु खुला हो ) में इन दिशानिर्देशों के अनुबंध के अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन स्व-नामांकन के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिसमें उपरोक्त पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण और अपेक्षित दस्तावेज शामिल होने चाहिए तथा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता के लिए आवेदक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता के लिए आवेदक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। विभाग आवश्यक होने पर दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकता है। केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किये गए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।

( ii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के खुलने के साथ-साथ आवेदन जमा करने की निर्धारित अवधि के बारे में समाचार पत्रों में विज्ञापन / विभाग की वेब साइट के माध्यम से सूचित करेगा।

(iii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति 5 साल बाद राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है।

#### 4. स्क्रीनिंग समितियों द्वारा आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग करना :-

(i) राष्ट्रीय पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं की लघु सूची के लिए स्क्रीनिंग समितियां होंगी। स्क्रीनिंग समितियों में निम्नलिखित में से अध्यक्ष सहित चार से पांच सदस्य होंगे:-

(क) केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव और/या उससे ऊपर के पद के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी या प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों के अधिकारी;

(ख) प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और दिव्यांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ या पुरस्कार के संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि;

(घ) दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग या उसके अधीनस्थ संगठन के उप सचिव और उससे ऊपर के पद के अधिकारी स्क्रीनिंग समितियों के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।

(ii) राष्ट्रीय चयन समिति स्क्रीनिंग समितियों की सिफारिश के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के लिए पुरस्कार विजेताओं के नामांकन का निर्णय करेगी।

(iii) स्क्रीनिंग समितियों के अध्यक्ष और संयोजक चयन प्रक्रिया में राष्ट्रीय चयन समिति की सहायता करेंगे।

(iv) राष्ट्रीय चयन समिति/स्क्रीनिंग समितियों के गैर-सरकारी सदस्य, समितियों/बोर्डों/पैनलों में गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नामित प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए भारत सरकार में लागू वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

(v) राष्ट्रीय पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत नामांकित पुरस्कार विजेताओं को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह की तारीख और स्थान के बारे में डाक/टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से चयनित व्यक्तियों या संस्था के प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।

**4 राष्ट्रीय चयन समिति:-** (क) पुरस्कार विजेताओं का चयन राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा स्क्रीनिंग समितियों की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

(ख) राष्ट्रीय चयन समिति में निम्नलिखित लोग शामिल होंगे: -

क्रमांक	नाम	पदनाम
i)	केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री	अध्यक्ष पदेन
ii)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष पदेन
iii)	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव	सदस्य पदेन
iv)	अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग	सदस्य
v)	मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन	सदस्य
vi)	भारतीय पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष	सदस्य
vii)	अध्यक्ष राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली	सदस्य

viii)	विशेष सचिव/अपर सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
ix)	निदेशक, ललित कला अकादमी या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
x)	सीएसआईआर का प्रतिनिधि जेएस के पद से नीचे का न हो	सदस्य
xi)	डीआरडीओ के पुनर्वास विंग के प्रतिनिधि	सदस्य
xii)	पुनर्वास विभाग के विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	सदस्य
xiii)	भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधि	सदस्य
xiv)	संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	संयोजक सदस्य

5. (ग) ऊपर लिखित राष्ट्रीय चयन समिति पैराग्राफ -1 में संदर्भित तालिका में किसी भी या सभी श्रेणियों या उप-श्रेणियों में अधिक संख्या में पुरस्कार विजेताओं का चयन कर सकती है। (घ) राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्यों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आवश्यकता होने पर सह योजित कर सकता है। (ङ) राष्ट्रीय चयन समिति का निर्णय बहुमत से होगा और दोनों पक्षों के मत बराबर होने की सीमा में, किसी विशेष बैठक की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा। (च) चयन समिति पुरस्कार श्रेणी में विजेताओं का चयन करते समय ग्रामीण और शहरी दोनों दिव्यांग व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व और समान क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। (छ) राष्ट्रीय चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

#### 5. चयन के लिए मानदंड-5.1 श्रेणी I के लिए - व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

##### (i) सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन - 6 पुरस्कार (पुरुष के लिए 3 और महिला के लिए 3)

होंगे। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत किसी भी निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खुला है और किसी भी क्षेत्र या गतिविधि में लगे हुए हैं अर्थात् शिक्षा / स्वास्थ्य / रोजगार / कला और संस्कृति / खेल / रचनात्मक कार्य / दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार / सामाजिक सेवा / आदि - जो असाधारण रूप से एक रोल मॉडल हो सकते हैं।

##### (ii) श्रेष्ठ दिव्यांगजन - निम्नलिखित श्रेणियों में से प्रत्येक में 2 पुरस्कारों (पुरुष के लिए 1 और महिला के लिए 1) के साथ अधिकतम 10 पुरस्कार होंगे:

1. गतिविषयक-गतिमान, पेशीय अक्षमता, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, ठीक हुआ कुष्ठ, प्रमस्तिष्क पक्षाघात
2. दृष्टिबाधित-अंधापन, कम दृष्टि
3. श्रवणबाधित-बधिर, सुनने में कठिन, भाषण और भाषा दिव्यांगता
4. बौद्धिक दिव्यांगता- मानसिक मंदता, मानसिक व्यवहार, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार
5. ऊपर दिए गए क्रम (क) से (घ) तक उल्लिखित अक्षमताओं को छोड़कर कोई भी विनिर्दिष्ट दिव्यांगता (विकासात्मक विकार, रक्त विकार के कारण होने वाली दिव्यांगता, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग, पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, मल्टीपल स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, बहु दिव्यांगता

(रोजगार / स्वरोजगार, स्वास्थ्य / खेल, कला, संस्कृति ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत या रचनात्मक कार्य के कोई भी अन्य प्रकार, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण) हालांकि, यदि इनमें से किसी एक या अधिक उप-श्रेणियों में उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलते हैं, तो अन्य उप-श्रेणियों में अतिरिक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को पुरस्कार दिए जा सकते हैं।

**उप-श्रेणी (i) और (ii) के लिए मानदंड**

क्रमांक	मानदंड	महत्व
(i)	दिव्यांगता का प्रकार(दिव्यांगता की सीमाक) 40% से 59% : 4ख) 60% से 79% : 10ग) 80% और अधिक:20	20%
(ii)	दिव्यांगताक) जन्म या बचपन से (0-6 वर्ष): 5बी) बाद में: 2	5%
(iii)	योग्यता (अकादमिक, कौशल आदि) दिव्यांगता से पहले प्राप्त: 0योग्यता (अकादमिक, कौशल आदि) दिव्यांगता के बाद प्राप्त: 5	5%
(iv)	गतिशीलता, आत्म-देखभाल और स्वतंत्रता आदि की सीमा।ए) स्वतंत्र रूप से: 4बी) एस्कॉर्ट/सहायक उपकरणों की मदद से: 10	10%
(v)	में ठहरनाक) ग्रामीण : 10ख) अर्ध शहरी क्षेत्र/नगर: 5ग) महानगरीय शहर : 2	10%
(vi)	शिक्षा/स्वास्थ्य/रोजगार/कला एवं संस्कृति/खेल/समाज सेवा/ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत, शैक्षणिक/उच्चमी गतिविधियां, शिक्षण या दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए किसी अन्य प्रकार के रचनात्मक कार्य आदि के क्षेत्र में उपलब्धियां और समाज पर इसका प्रभाव।	50%
(vii)	किसी भी श्रेणी की दिव्यांगता में आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा के लिए स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है। ऊपर दिए गए अनुपात के साथ अंकन सांकेतिक है लेकिन कॉलम (vi) के लिए वेटेज कुल अंकों का 50% रहेगा।	

iii) **श्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बाल/बालिका - 2 पुरस्कार** (एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए) (18 वर्ष की आयु तक दिव्यांग बच्चों के लिए खुला और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत निर्दिष्ट दिव्यांगजनों की किसी भी श्रेणी से संबंधित) – कला और संस्कृति के क्षेत्र में, ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत, या किसी अन्य प्रकार के रचनात्मक कार्य आदि के लिए मानदंड)

क्रमांक	मानदंड	महत्व
(i)	दिव्यांगता का प्रकार(दिव्यांगता की सीमाक) 40% से 59% : 4ख) 60% से 79% : 10ग) 80% और अधिक: 20	20%
(ii)	दिव्यांगताक) जन्म या बचपन से (0-6 वर्ष): 5ख) बाद में: 2	5%

(iii)	योग्यता (अकादमिक, कौशल आदि) दिव्यांगता से पहले प्राप्त: 0 योग्यता (अकादमिक, कौशल आदि) दिव्यांगता के बाद प्राप्त: 5	5%
(iv)	गतिशीलता, आत्म-देखभाल और स्वतंत्रता आदि की सीमा।ए) स्वतंत्र रूप से: 4बी) एस्कॉर्ट/सहायक उपकरणों की मदद से: 10	10%
(v)	में ठहरनाक) ग्रामीण : 10ख) अर्ध शहरी क्षेत्र/नगर: 5ग) महानगरीय शहर : 2	10%
(vi)	कला एवं संस्कृति, ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत, खेल या किसी अन्य प्रकार के रचनात्मक कार्य आदि के क्षेत्र में उपलब्धि।	50%
(x)	किसी भी श्रेणी की दिव्यांगता में आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा के लिए स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है। ऊपर दिए गए अनुपात के साथ अंकन सांकेतिक है लेकिन कॉलम (vi) के लिए वेटेज कुल अंकों का 50% रहेगा।	

iv) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति – एक राष्ट्रीय पुरस्कार निर्दिष्ट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। व्यक्ति की श्रेष्ठता निम्नलिखित मानदंड पर निर्धारित की जाएगी:-

वह जिस संगठन में काम करता है, वह उसे उत्कृष्ट मानता है।

- (क) वह पिछले 10 वर्षों में नए कार्यक्रम या सेवाओं को शुरू करने के लिए जिम्मेदार है, जिसके परिणामस्वरूप दिव्यांग लोगों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ हुआ है।
- (ख) संस्थान के वेतनभोगी अधिकारी चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के वेतनभोगी कर्मचारी/अधिकारी पात्र हो सकते हैं।
- (ग) दिव्यांग कल्याण/पुनर्वास/शिक्षा/प्रशिक्षण आदि के क्षेत्रों में उनका योगदान उत्कृष्ट होना चाहिए।
- (घ) समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए पुनर्वास मॉडल विकसित करने और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में इसे दोहराने में उनका योगदान।
- (ङ) दिव्यांगजनों के कल्याण और समग्र विकास के लिए उत्कृष्ट व्यक्ति और दिव्यांगजनों के अधिकारों और समान अवसरों के बारे में समुदाय को संवेदनशील बनाना।
- (च) दिव्यांगजनों के लिए व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता और कारण के लिए इसके महत्व को भी उचित महत्व दिया जाएगा।
- (छ) उनके पास उत्कृष्ट व्यावसायिक उपलब्धियां हैं।

v) दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर /कर्मि - एक पुरस्कार

सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर /कर्मि को एक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने या दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण में लगे हुए पुनर्वास पेशेवर /कर्मि के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड होंगे:

क्र.	मानदंड	महत्व
1	दिव्यांग व्यक्तियों को दिए जाने वाले पुनर्वास की प्रकृति	20%
2	पुनर्वास, शैक्षणिक, तकनीकी के क्षेत्र में योग्यता	10%
3	व्यावसायिक उपलब्धियां शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली पुनर्वास सेवाएं	10%
4	प्रदान की गई पुनर्वास सेवाओं के वर्षों की संख्या	10%
5	लाभान्वित व्यक्तियों की कुल संख्या	10%
6	समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए पुनर्वास मॉडल विकसित करने और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में इसे दोहराने में उपलब्धियां।	10%
7	स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है जो आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है	30%

vi) दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास - एक पुरस्कार

दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से नए लागत प्रभावी उत्पाद के निर्माण/ विकास के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान या तकनीकी नवाचार के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा।

नवीन परियोजनाओं या प्रौद्योगिकी के लिए चयन मानदंड होंगे:

- एक उत्कृष्ट उपकरण, सहायता या अनुकूलन का विकास जो दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार प्राप्त करने या बनाए रखने और समुदाय के सामाजिक-आर्थिक जीवन में पूरी तरह से एकीकृत होने की संभावनाओं में काफी सुधार करता है; तथा
- दिव्यांग व्यक्तियों की गतिशीलता, उत्पादकता और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने में डिवाइस की प्रभावशीलता, डिवाइस की रखरखाव और इसकी पुनः प्रयोज्यता।

प्रौद्योगिकी के आसान और सबसे अधिक लागत प्रभावी अनुकूलनशीलता के मानदंड निम्नानुसार होंगे: -

क्र.	मानदंड	महत्व
1	विकास विचार/अवधारणा प्रोटोटाइप की स्थिति कामकाजी मॉडल	20%
2	नवाचार नया उत्पाद वैकल्पिक	15%
3	पेटेंट / लागू	10%
4	लागत प्रभावशीलता / वहनीयता	10%
5	आयात प्रतिस्थापन और आत्मनिर्भरता जोड़ना	5%
6	उपयोग की सुरक्षा	5%
7	व्यावसायीकरण	5%

8	शिक्षा को बढ़ावा देने, गतिशीलता बढ़ाने, पहुंच को बढ़ावा देने में डिवाइस की प्रभावशीलता	10%
9	प्रकाशन: जर्नल/अन्य वैज्ञानिक पत्रिका/समाचार पत्रों में प्रकाशित	10%
10	स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है जो आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है	10%

## 5.2 श्रेणी (II) के लिए - दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

1. दिव्यांग सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान (निजी संगठन, एनजीओ) - दो पुरस्कार (i) समग्र व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पुरस्कार और (ii) समावेशी शिक्षा या शैक्षिक संस्थानों को बढ़ावा देने और प्रदान करने के लिए एक पुरस्कार जो दिव्यांग बच्चों को उच्च अध्ययन के लिए समावेशी शिक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। इस श्रेणी में पुरस्कार देने का मानदंड निम्नानुसार होगा: -

क्र.	मानदंड	महत्व
1	विभिन्न दिव्यांग लोगों के लिए व्यापक सेवा शुरू की है।	10%
2	नए उपकरणों को अनुकूलित किया है।	10%
3	नई सेवाएं प्रदान की है।	15%
4	मौजूदा सेवाओं में सुधार के लिए नई रणनीतियां शुरू की हैं	10%
5	पुनर्वास में ग्राहकों का अनुसरण किया है।	5%
6	संस्थान को शिक्षा/प्रशिक्षण/पुनर्वास आदि के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	10%
7	अपने कार्य मुख्यालय में और उसके आसपास आउटरीच सेवाओं के विस्तार में संस्था का योगदान।	5%
8	दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए समुदाय की प्रेरणा और भागीदारी खासकर ग्रामीण इलाकों में	10%
9	संस्थानों का चयन करते समय स्वैच्छिक कार्रवाई को उचित महत्व दिया जाएगा: स्थानीय जनता की भागीदारी और इसके लिए प्रयास दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना।	5%
10	भौगोलिक क्षेत्र जिसमें संस्थान की सेवाएं उपलब्ध है	5%
11	दिव्यांगता की श्रेणी (श्रेणियों) जिसके लिए संस्था सेवाएं प्रदान कर रही है	5%
12	स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है जो आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है	10%

## 2. दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता - एक पुरस्कार

- (i) सरकारी संगठन (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या स्थानीय सरकारी निकाय; और (iii) निजी या गैर सरकारी संगठन के तहत दिव्यांगजनों के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता; निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा:

क्र.	मानदंड	महत्व
(i)	किसी दिए गए प्रतिष्ठान में कम से कम दिव्यांग व्यक्तियों के अधीन कम से कम 10% कर्मचारी दिव्यांग हैं। (100 या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार देने वाले बड़े प्रतिष्ठान के मामले में, 10% की शर्त का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता नहीं है)	20%
(ii)	जहां कहीं आवश्यक हो वहाँ क्या मशीनरी में मामूली समायोजन/संशोधन किया गया है;	5%
(iii)	कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए क्या आवश्यक पर्यावरणीय संशोधनों को बाधा मुक्त सहित किया गया है	5%
(iv)	दिव्यांग कर्मचारियों की सेवा में समान शर्तें, समान कार्य के लिए अन्य कर्मचारियों को दी गई वेतन की दरों सहित क्या दी जाती है	10%
(v)	क्या नियोक्ताओं ने दिव्यांगजनों की समस्याओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण समझ दिखाई है	10%
(vi)	जब आवश्यक और संभव हो, तो क्या अतिरिक्तआवास और परिवहन आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं	10%
(vii)	भर्ती की गई का रुकने की दर	10%
(viii)	कर्मचारी मूल्यांकन	10%
(ix)	क्या उत्पादकता सुनिश्चित की गई	10%
(x)	स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है जो आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है	10%

3. दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी – एक पुरस्कार दिव्यांग व्यक्तियों की नियुक्ति एजेंसी की श्रेणी के तहत एक राष्ट्रीय पुरस्कार होगा। (सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों को छोड़कर) दिव्यांग व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा: -

क्रमांक	मानदंड	महत्व
(i)	पिछले पांच वर्षों के दौरान कम से कम 50% पंजीकृत बेरोजगार दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार में रखा और उनमें से कम से कम 30% महिलाएं थीं;	20%
(ii)	पिछले पांच वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए दिव्यांग व्यक्तियों की कुल संख्या	10%
(iii)	पिछले पांच वर्षों के दौरान उनकी अनुवर्ती कार्रवाई के साथ-साथ पिछले वर्ष के अंत तक उनके साथ पंजीकृत दिव्यांगों के प्लेसमेंट और उनकी अनुवर्ती कार्रवाई क्या उत्कृष्ट है;	25%
(iv)	किसी दिए गए वर्ष में ड्रॉपआउट कर्मचारियों का प्रतिशत 20% से अधिक नहीं होना चाहिए;	15%
(v)	नियोजन अधिकारी दिव्यांग व्यक्तियों की सभी श्रेणियों में नियुक्ति प्रदान करेगा और उनकी सहायता करते समय संतुलन बनयेगा	10%

(vi)	स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है जो आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है	20%
------	---	-----

4. सुगम्य भारत अभियान के क्रियान्वयन/बाधा मुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य /संघ राज्य क्षेत्र/जिला : सुगम्य भारत अभियान में उत्कृष्ट कार्य और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त वातावरण/काम करने की स्थिति के निर्माण के लिए एक पुरस्कार दिया जाएगा, आसान गतिशीलता, सुलभ शौचालय और पीने के पानी की सुविधा और सांकेतिक भाषा में निर्देश सहित कार्य स्थल और अन्य संकेतक, जो आसान आवाजाही की सुविधा प्रदान करते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को इसके समग्र कामकाजी परिवेश में एकीकृत करते हैं।

क्रमांक	मानदंड	महत्व
1.	(क). i) राज्य में सार्वजनिक भवनों की कुल संख्या* ii) बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए पहचान की गई सार्वजनिक भवनों की कुल संख्या* iii) उपर्युक्त में से सुगम्य भारत अभियान निधि से सुगम्य बनाए गए सार्वजनिक भवनों की कुल संख्या। * कार्यालय, सिनेमा हॉल, थिएटर, पार्क, अस्पताल, संग्रहालय, पुलिस स्टेशन, पर्यटक स्थल, स्मारक, शैक्षिक संस्थान, बैंक, डाकघर, एटीएम, वाणिज्यिक परिसर, बाजार स्थान, सड़कें, पुस्तकालय, न्यायालय आदि।	15%
2.	i) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भेजे गए लागत अनुमानों की कुल संख्या ii) भवनों की कुल संख्या जिनके लिए धनराशि दी गई है और उसका उपयोग किया गया है।  (वित्तीय वर्षवार विवरण 2015-16 से दिया जाएगा)	15%
3.	निम्नलिखित विवरणों के साथ पुनर्निर्मित भवनों की कुल संख्या:- i) सुगम्य पार्किंग के अनुसार मार्किंग के साथ अभिगम्यता मानक ii) पार्किंग को जोड़ने वाला सुलभ मार्ग उतराई बिंदु iii) टैक्टाइल टाइलें/पेवर्स पार्किंग से मुख्य सुलभ प्रवेश द्वार तक और कमरों तक (iv) सुलभ स्वागत काउंटर (v) सुलभ प्रवेश द्वार / दरवाजे / गलियारे (vi) रैंप - जहां कहीं भी स्तर के अंतर हैं या लिफ्ट अनुपस्थित है vii) सुलभ लिफ्ट viii) साइनेज (ऑडियो-विजुअल) स्पष्ट रूप से रखा गया ix) प्रत्येक मंजिल पर सुलभ शौचालय x) सुलभ सीढ़ी (रंग विपरीत पट्टी और निरंतर हैंड्रिल)।	30%

4	i) राज्य निधि से सुगम्य कराए गए भवनों की कुल संख्या ii) सार्वजनिक भवनों की पहुंच में सुधार के लिए अन्य महत्वपूर्ण पहल की गई।	20%
5.	स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है जो आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है अन्यथा अन्य मापदंडों के बीच वितरित किया जा सकता है जैसा कि उपयुक्त माना जाता है	20%

5. सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी - चयन के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे: -

क्रमांक	मानदंड	महत्व
(i)	<p><b>सुगम्य यातायात के साधन</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>सुगम्य वाहनों की उपलब्धता (लो-फ्लोर वाहन या व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं और गतिशीलता सहायता वाले व्यक्तियों के लिए रैंप और लिफ्ट वाले वाहन) - 25%</li> <li>प्रवेश द्वार के निकट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट पार्किंग स्थान - 5%</li> <li>ऑनलाइन और ऑफलाइन सुगम्य यात्रा के जानकारी की उपलब्धता, जिसमें मार्ग, समय-सारिणी और वाहनों और स्टेशनों की सुगम्यता की विशेषताएं शामिल हैं-10%</li> <li>दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता-10%</li> <li>राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुगम्य परिवहन पर स्पष्ट और व्यापक नीतियों और दिशानिर्देशों का अस्तित्व-20%</li> <li>दिव्यांगता के बारे में जागरूकता और परिवहन प्रणाली का उपयोग करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करने के तरीके पर कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण का प्रावधान - 5%</li> </ol>	75%
(ii)	<p><b>सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी</b>(i) सुगम्यता संबंधी दिशा-निर्देशों और कानूनों का पालन-10%(ii) आईसीटी सिस्टम, उत्पादों और सेवाओं का विकास और परिनियोजन- 10%(iii) वेबसाइट और वेब एप्लिकेशन एक्सेसिबिलिटी-10%(iv)डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करना जो कीबोर्ड नेविगेशन, स्क्रीन रीडर और अन्य सहायक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सुलभ हों-10%(v) सुगम्य प्रारूपों में डिजिटल दस्तावेज़ (जैसे, पीडीएफ, वर्ड दस्तावेज़) बनाना और प्रसारित करना-10%(vi) उत्पादों और सेवाओं में निर्मित सुगम्य सुविधाएँ -5%(vii) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल पहुंच के बारे में जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने की पहल-5%(viii) सुलभ सामग्री/दस्तावेज़ आदि बनाकर सूचना की पहुंच में सुधार के लिए उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण कदम-10%</p>	20%
(iii)	दोनों ही मामलों में स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है जो आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है अन्यथा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य मापदंडों के बीच वितरित किया जा सकता है।	25%

6. दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम/यूडीआईडी एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य योजना के कार्यवयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य /संघ राज्य क्षेत्र/जिला दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण में उत्कृष्ट कार्य और चयन के मानदंड निम्नानुसार होंगे: -

क्रमांक	मानदंड	महत्व
(i)	दिव्यांगजनों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त (पीडब्ल्यूडी) सहित अच्छे संस्थागत बुनियादी ढांचे की स्थापना में राज्य की समग्र योजना और रणनीति।	10%
(ii)	दिव्यांगजनों का प्रतिशत जिन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र/UDID कार्ड जारी किया गया है।	5%
(iii)	आईजीएनडीपीएस के तहत गंभीर बहु-दिव्यांगता वाले पहचाने गए व्यक्तियों का प्रतिशत कवरेज।	15%
(iv)	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को लागू करने में राज्य की उपलब्धि।	
(v)	सरकारी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों का प्रतिशत:-  7. रेलिंग के साथ रैंपख. विशेष शिक्षक/शिक्षा का स्तर प्रदान किया जा रहा है। स्वास्थ्य/चिकित्सा सुविधाएं. दिव्यांग अनुकूल शौचालय	10%
(vi)	दिव्यांगजनों की संख्या जिन्हें उनके लिए निर्धारित 3% कोटे के विरुद्ध सरकारी नौकरियों में रखा गया है	10%
(vii)	सार्वजनिक स्थानों पर बाधा मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास/सुगम्य भारत अभियान का कार्यान्वयन	5%
(viii)	दिव्यांगजनों के लिए राज्य क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय कुल राज्य योजना परिव्यय का %	5%
(ix)	पिछले पांच वर्षों के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले दिव्यांगजनों का प्रतिशत	5%
(x)	स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है जो आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है	35%

7. दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के अपने राज्य में कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगजनआयुक्त :

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत राज्य आयुक्त के लिए अनिवार्य किया गया है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रमों और नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाएं तदनुसार राज्य दिव्यांगजनआयुक्त निम्नलिखित कदमों को सुनिश्चित करें

- i) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुरूप किसी भी कानून या नीति, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं के प्रावधान की पहचान, स्वप्रेरणा या अन्यथा, और आवश्यक सुधारात्मक कदमों की सिफारिश करना;
- ii) स्वप्रेरणा से या अन्यथा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से वंचित करने और उन मामलों के संबंध में उनके लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में पूछताछ करना, जिनके लिए राज्य सरकार उपयुक्त सरकार है और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मामले को उपयुक्त अधिकारियों के साथ उठाती है;
- iii) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना;iv) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के उपभोग को बाधित करने वाले कारकों की समीक्षा करना और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना;
- v) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना;
- vi) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना;
- vii) इस अधिनियम के प्रावधानों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- viii) दिव्यांग व्यक्तियों के लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा वितरित धन के उपयोग की निगरानी करना; तथा
- ix) ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य सरकार सौंपे। किसी भी राज्य /संघ राज्य क्षेत्र में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत अनिवार्य गतिविधियों को प्राप्त करने में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त के प्रदर्शन की उत्कृष्टता और मान्यता को बढ़ावा देने के लिए, इस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया गया है। चयन के लिए मानदंड:-

क्र.	मानदंड	महत्व
(i)	दिव्यांग व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने और अच्छे संस्थागत बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए समग्र योजना और रणनीति।	20%
(ii)	पिछले 3 वर्षों के दौरान पंजीकृत और निपटाए गए दिव्यांग व्यक्तियों की शिकायतें	20%
(iii)	दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर राज्य के अधिकारियों के साथ उठाए गए कदम/समन्वय जिसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना/यूडीआईडी/आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम/नियमों का कार्यान्वयन आदि शामिल हैं।	20%
(iv)	दिव्यांगता अधिकारों, पुनर्वास, दिव्यांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रसार के लिए सम्मेलन/कार्यशालाएं, सेमिनार आयोजित/आयोजित	10%
(v)	स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है जो आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है	30%

## 8. पुनर्वास पेशेवरों के विकास में संलग्न सर्वश्रेष्ठ संगठन - एक पुरस्कार

कई सरकारी संस्थान/एनजीओ, केंद्रीय/राज्य मुक्त विश्वविद्यालय व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, स्नातक और परास्नातक एम.फिल, और पीएचडी स्तर से भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम चलाने में लगे हुए हैं। दिव्यांग, विशेष शिक्षा, अनुसंधान को बढ़ावा देना और इस तरह देश में पुनर्वास पेशेवरों / कर्मियों का एक पूल बनाना। उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और प्रदर्शन को मान्यता देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई है।

चयन के लिए मानदंड:-

क्रमांक	मानदंड	महत्व
(i)	पुनर्वास पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के वर्षों की संख्या	10%
(ii)	प्रशिक्षित पुनर्वास पेशेवरों की संख्या	15%
(iii)	पाठ्यक्रम डिजाइन और विषय-वस्तु(क) पाठ्यक्रम में पुनर्वास में वर्तमान शोध, सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दिशा-निर्देशों को किस हद तक शामिल किया गया है।(ख) पुनर्वास विशेषज्ञताओं और शामिल विषयों की श्रेणी (जैसे, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा, भाषण-भाषा विकृति विज्ञान, पुनर्वास परामर्श, सहायक प्रौद्योगिकी)।	15%
(iv)	संकाय और प्रशिक्षकसंकाय/प्रशिक्षकों की उनके संबंधित पुनर्वास क्षेत्रों में योग्यता , अनुभव और सक्रिय भागीदारी	10%
(v)	पुनर्वास पेशेवरों के कौशल उन्नयन के लिए सम्मेलन/कार्यशालाएं, सेमिनार आयोजित/संचालित किए गए	10%
(vi)	मान्यता स्थिति: पुनर्वास शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय निकायों से मान्यता प्राप्त होना।	10%
(vii)	अनुसंधान एवं नवाचार: अनुसंधान गतिविधियों में भागीदारी जो पुनर्वास ज्ञान और अभ्यास की उन्नति में योगदान देती है।	10%
(viii)	राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर प्राप्त पुरस्कार/प्रशंसा	10%
(ix)	स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है जो आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है	10%

## 9. “कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / निजी क्षेत्र की कंपनी ”

चयन के लिए मानदंड:-

क्र. सं.	मानदंड	भारांक/अंक
i	पिछले 5 वर्षों में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु विशेष रूप से व्यय की गई कुल CSR राशि	20

ii	CSR पहलों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित दिव्यांगजनों की संख्या	20
iii	बंधित/आकांक्षी/दूरस्थ क्षेत्रों में कवरेज	15
iv	दिव्यांगजनों हेतु सहायक उपकरण, पुनर्वास, शिक्षा, कौशल विकास या आजीविका सृजन में योगदान	15
v	मापनीय परिणाम एवं प्रभाव (जीवन की गुणवत्ता, रोजगार क्षमता, सुगम्यता आदि में सुधार)	10
vii	हस्तक्षेपों की स्थिरता (एकमुश्त गतिविधियों की तुलना में दीर्घकालिक कार्यक्रम)	10
viii	स्क्रीनिंग समिति द्वारा मूल्यांकन हेतु निर्धारित अतिरिक्त मानदंड	10
कुल		<b>100</b>

## 6. प्रत्येक वर्ष पालन की जाने वाली गतिविधियों का कैलेंडर

पुरस्कारों के संबंध में प्रत्येक वर्ष की जाने वाली गतिविधियों का कैलेंडर अनुलग्नक में दिया गया है।

## 7. पुरस्कारों की प्रस्तुति:

- i. पुरस्कार हर साल 3 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसे "दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के रूप में घोषित किया गया है
  - (ii) पुरस्कार विजेताओं और एक एस्कॉर्ट के रहने और रहने का खर्च दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।
  - (iii) पुरस्कार समारोह के एक दिन पहले और बाद के यात्रा व्यय और आवास की व्यवस्था की जाएगी और व्यय की प्रतिपूर्ति दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की जाएगी।
  - (iv) प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होने के नाते, पुरस्कार विजेताओं और उनके एस्कॉर्ट की टीए/डीए स्वीकार्यता व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 14.9.2017 के पैरा-1(III) के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 14 (पूर्व-संशोधित ग्रेड वेतन 10,000/- रुपये ) में केंद्र सरकार के श्रेणी-I अधिकारी के समकक्ष होगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जायेगा ।

अनुलग्नक 'ए'

व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए आवेदन पत्र

1.	1. सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन 2. श्रेष्ठ दिव्यांगजन 3. श्रेष्ठ दिव्यांग बाल/बालिका 4. दिव्यांगजनों के लिए कार्यरथ सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति 5. दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर 6. दिव्यांगताके क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास (केवल एक श्रेणी पर सही का निशान लगाएं)(एक से अधिक श्रेणी के लिए आवेदन अलग - अलग भरें)
2.	नाम: - हिंदी में ▪ अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में)
3.	पता: (ए) आवासीय
4.	टेलीफ़ोन नंबर: (ए) आवासीय
5	ई-मेल पता, यदि कोई हो
6	लिंग
7	जन्म तिथि/आयु

8	दिव्यांगता की प्रकृति/श्रेणी
9	दिव्यांगताका प्रतिशत (सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है)
10	योग्यता: दिव्यांगता का प्रतिशत (सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है)योग्यता :(ए) अकादमिक (बी) तकनीकी/पेशेवर दिव्यांगता की शुरुआत के बाद हासिल की गई योग्यता को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। (प्रमाण पत्र और प्रशंसा पत्र संलग्न किया जाना है)
11.	इससे संबद्ध क्षेत्र या गतिविधि : ए) शिक्षा बी) स्वास्थ्य ग) रोजगार घ) कला और संस्कृति ई) खेल च) रचनात्मक कार्य छ) दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण ज) समाज सेवा
12.	चाहे कर्मचारी हो या स्वरोजगार i) यदि कर्मचारी: (ए) नियोक्ता का नाम (बी) पद या पद धारित (ग) वेतनमान और आहरित वेतन (डी) पर लगे कार्य की प्रकृति ii) यदि स्वरोजगार : (ए) व्यापार / पेशा जिसके साथ जुड़ा हुआ है (बी) मासिक आय (ग) स्वरोजगार के रूप में खुद को पूरी तरह से आत्मसात करने की दृष्टि से आपने उस व्यापार/पेशे में अपने कौशल को कितना उन्नत किया है?
13.	गतिविधि के क्षेत्र में उपलब्धियां (प्रमाण पत्र / प्रशंसा पत्र) ए) अंतर्राष्ट्रीय स्तर बी) राष्ट्रीय स्तर ग) राज्य स्तर घ) जिला स्तरई) संगठन स्तर
14.	पुरस्कार, पदक, सम्मान प्राप्त (ए) पुरस्कार का नाम (बी) पुरस्कार प्रदान करने वाली एजेंसी (सी) प्रदान करने का वर्ष
15	राष्ट्रीय पुरस्कार पर विचार के लिए कोई अन्य उपलब्धि

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और मेरे पास उपलब्ध तथ्यों और अभिलेखों पर आधारित है।

(तिथि के साथ आवेदक के हस्ताक्षर)

## अनुलग्नक 'बी'

दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र

पुरस्कार श्रेणी के लिए आवेदन किया गया: i) दिव्यांग सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान ii) दिव्यांगों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता iii) दिव्यांगों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी iv) सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन/बाधा मुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला v) सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन/सूचना और संचार उत्पाद सरकारी/निजी संगठन vi) दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम/यूडीआईडी एवम दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला vii) दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अपने राज्य में कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य आयुक्त दिव्यांगजन viii) पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने वाले पेशेवर तैयार करने वाली सर्वश्रेष्ठ संस्था		...
1.	संस्थान का नाम अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में) और हिंदी	
2.	पिन कोड के साथ संस्थान का डाक पता और टेलीफोन नंबर।	
3.	वेब-साइट/ई-मेल पता	
4.	स्थापना वर्ष	
5.	संस्था द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति	
6.	संस्थान द्वारा किए गए कार्यों का विवरण, जिसमें संस्थान द्वारा कवर किए गए स्थान और दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या शामिल है।	
7.	दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास/शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा और दिव्यांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित पिछले दस वर्षों में संस्थान की उत्कृष्ट उपलब्धियों / योगदान को निर्दिष्ट करें।	
8.	क्या संस्थान को पूर्व में कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो निर्दिष्ट करें और संक्षिप्त विवरण दें।	

संस्था के अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर दिनांक सहित

अनुबंध- "सी"

प्रत्येक वर्ष अपनाई जाने वाली गतिविधियों का संभावित कैलेंडर

क्रमांक सं.	क्रियाकलाप	दिनांक और माह
1.	राष्ट्रीय पुरस्कारों का विज्ञापन/राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का उद्घाटन	1 मई के बाद
2.	आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि	15 जुलाई
3.	स्क्रीनिंग समितियों और राष्ट्रीय चयन समितियों का गठन	20 जुलाई
4.	स्क्रीनिंग समितियों की बैठक	1 सितंबर
5.	शॉर्ट-लिस्टेड उम्मीदवारों का सत्यापन	30 सितम्बर
6.	राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक	15 अक्टूबर
7.	पुरस्कार विजेताओं को सूचना/पुष्टि	31 अक्टूबर
8.	राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति	3 दिसंबर

\*\*\*\*\*